राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 25/2017

श्री राधेश्याम पुत्र श्री गजानन्द जी ब्राह्मण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर

———प्रार्थी

ब ना म

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला–अजमेर

———अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

आदेश दिनांक 16.2.2018

संक्षिप्तः प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है, कि ग्राम जालिया द्वितीय में खाता संख्या 540 खसरा संख्या 3454, 3455, 3456, 3460 की खातेदारी भूमियां स्थित है जो राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी एवं उसकी चार बहिन अम्बा, श्यामा, लाली एवं कमला सहित पांचों के नाम दर्ज चली आ रही है जिनमें से तीन बहिन अम्बा, श्यामा एवं कमला ने प्रार्थी के हक में रजिस्टर्ड हक त्याग कर दिया, इस प्रकार उपरोक्त भूमियों के चार हिस्से का मालिक प्रार्थी हो गया तथा एकमात्र हिस्से की मालिक बहिन लाली रही। किन्तु जमाबन्दी में हिस्सो का इन्द्राज नहीं करने से दोनों बराबर–बराबर हिस्सों के रूप में दर्शित होते है जिसका प्रार्थी की बहिन कभी भी नाजायज फायदा उठा सकती है एवं आधे हिस्से की भूमियां बेचान कर सकती है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रेकार्ड में हिस्से का अंकन करने हेतु प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किए हैं।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बिजयनगर ने अपनी रिपोर्ट में एल.आर./1317 दिनांक 14.10.2016 में कथन किए हैं कि जमाबन्दी संवत् 2065–68 के खाता संख्या 489 में खातेदार राधेश्याम वल्द गजानन्द, अम्बा, श्यामा, लाली, कमला पुत्रियां गजानन्द के नाम दर्ज है जो कि अम्बा श्यामा कमला ने हकत्याग द्वारा राधेश्याम वल्द गजानन्द के पक्ष में हकत्याग किया है। इस प्रकार राधेश्याम पुत्र गजानन्द का हिस्सा 4/5 व लाली पुत्री गजानन्द का हिससा 1/5 बनता है।

प्रार्थना पत्र पर बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई जिसमें अधिवक्ता प्रार्थी के कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि पंजीकृत हक परित्याग दिनांक 09.04.2010 की छाया प्रति प्रस्तुत की है जिसमें श्रीमती अम्बादेवी, श्रीमती श्यामादेवी व श्रीमती कमलादेवी पिसरान गजानन्द ने खसरा संख्या 2752, 3454, 3455, 3456, 3460 तथा खसरा संख्या 3461 व 3462 में अपना हकपरित्याग उनके भाई श्री राधेश्याम पुत्र श्री गजानन्द के पक्ष में पंजीयन करवाया जाना अंकित है। ग्राम जालिया द्वितीय पटवार क्षेत्र जालिया द्वितीय की जमाबन्दी संवत् 2065–68 के खाता संख्या 489 में राधेश्याम वल्द गजानन्द, अम्बा श्यामा लाली कमला पुत्रियां गजानन्द कौम ब्राह्मण सा. देह खतेदार अंकित है तथा इसी जमाबन्दी में नामान्तरकरण संख्या 752 दिनांक 24.04.2010 का नोट लगा है जिसमें हकत्याग से अम्बा श्यामा कमला के स्थान पर राधेश्याम वल्द गजानन्द का अंकन स्वीकार होना अंकित है। इसके पश्चात् बनी रोटेशन जमाबन्दी संवत् 2069–72 के खाता संख्या 540 में राधेश्याम वल्द गजानन्द लाली पुत्री कोम ब्राह्मण सा. देह खातेदार अंकित हुआ है जबकि राधेश्याम वल्द गजानन्द हि. 4/5 व लाली पुत्री गजानन्द हि.1/5 अंकित होना चाहिये। जो कि संहवन से/लिपिकीय त्रुटि हुई है।

ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम जालिया द्वितीय पटवार क्षेत्र जालिया द्वितीय के आराजी खसरा संख्या 3454, 3455, 3456, 3460 पर प्रार्थी राधेश्याम वल्द गजानन्द हि.4/5 अंकित किया जाने तथा लाली पुत्री गजानन्द हि. 1/5 कौम ब्राह्मण सा.देह खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। यथानुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार बिजयनगर पर पारित किये जाते हैं।

आदेश आज दिनांक 16/2/18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.27 17:01:31 IST
Reason: SelfAttested